उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के गठन हेतु

दिशा–निर्देश पुस्तिका

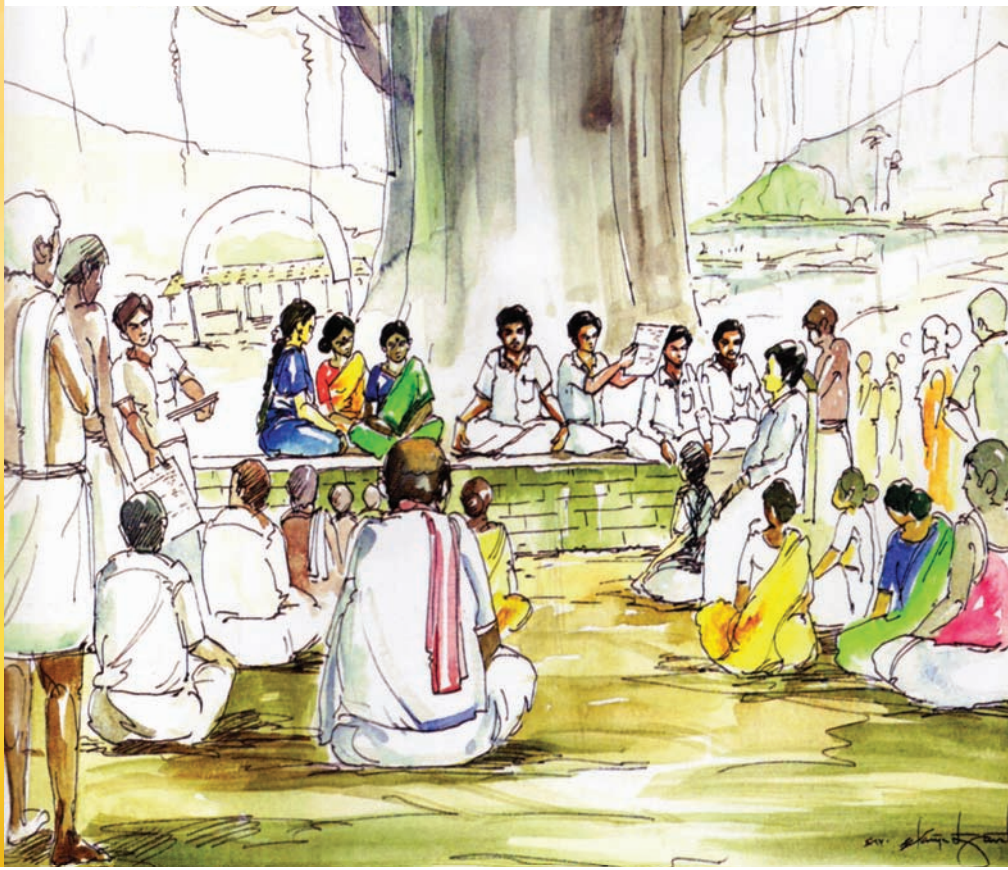

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के गठन हेतु

दिशा–निर्देश पुस्तिका

उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड

प्रकाशक : उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
फेज–2, वसन्त विहार, देहरादून–248006

प्रकाशन : सितम्बर, 2015

वित्तीय सहयोग : ''कैलाश पवित्र भू–दृश्य संरक्षण एवं विकास पहल'' कार्यक्रम

मार्ग दर्शन : डा० राकेश शाह
अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून

श्री जी०एस० पान्डे,
सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून

सम्पादक : श्री धनंजय प्रसाद
उप–निदेशक, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून

आभार : राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,
चेन्नई (तामिलनाडु)

प्राक्कथन

जैव विविधता अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किये जाने हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी0एम0सी0) का गठन एक महत्वपूर्ण बुनियादी व्यवस्था है। स्थानीय स्तर पर गठित इस स्वायत्तशासी संस्था में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निहित है, जो उद्देश्यों को साकार करने हेतु उपयोगी है।

बी0एम0सी0 गठन से सम्बंधित उक्त पुस्तिका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश एवं उत्तराखण्ड में उद्देश्य प्राप्ति हेतु किये गये पूर्व प्रयासों से प्राप्त अनुभव के दृष्टिगत तैयार की गयी है।

''कैलाश पवित्र भू–दृश्य संरक्षण एवं विकास पहल'' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित यह पुस्तिका (टूल–किट) जैव विविधता अधिनियम के अनुपालन से सम्बंधित समस्त पक्षों को जागरूक बनाने का एक प्रयास है। इस पुस्तिका के प्रकाशन में सक्रिय योगदान हेतु श्री धनंजय प्रसाद, उप–निदेशक विशेष बधाई के पात्र है। इसके अतिरिक्त इस कार्य में योगदान हेतु श्री जी0एस0 पाण्डे, सदस्य सचिव तथा उनकी टीम को भी हार्दिक बधाई।

आशा की जाती है कि यह पुस्तिका/टूल–किट जैव विविधता प्रबन्ध समिति गठित करने तथा इसके प्रभावी संचालन में उपयोगी साबित होगा।

(डा. राकेश शाह)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

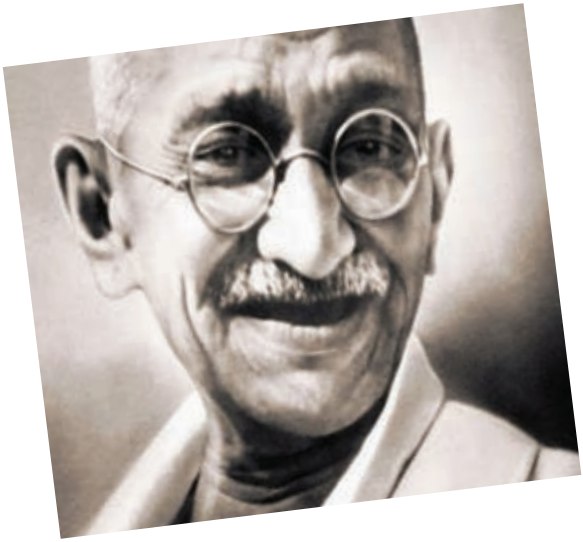

पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूर्ण करती है, किन्तु उसके लालच को नहीं।

महात्मा गाँधी

क्र. सं.	विषय–सूची	पृष्ठ सं.
1	पृथ्वी सम्मेलन 1992: रियो–डि–जनेरियो	1
2	जैव विविधता कन्वेंशन	2
3	जैव विविधता अधिनियम, 2002	3
4	जैव विविधता अधिनियम, 2002 का कार्यान्वयन	4
5	उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड	5
6	स्थानीय निकाय का तात्पर्य	6
7	उत्तराखण्ड के स्थानीय निकाय	7
8	जैव विविधता प्रबन्ध समिति क्या है ?	8
9	जैव विविधता प्रबन्ध समितियों हेतु नोडल अधिकारी तथा सचिव	9
10	जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन	10
11	बी0एम0सी0 के अध्यक्ष का चुनाव	11
12	बी0एम0सी0 की संरचना	12
13	बी0एम0सी0 द्वारा बैंक में खाता खोला जाना तथा उसका रख–रखाव	13
14	बी0एम0सी0 गठन सम्बंधी महत्वपूर्ण सुझाव	14
15	बी0एम0सी0 का कार्यकाल	15
16	बी0एम0सी0 को अन्य समितियों के साथ एकीकृत किया जाना	16
17	बी0एम0सी0 की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	17

18	बी0एम0सी0 की बैठकें एवं क्रियाकलाप	19
19	लोक जैव विविधता पंजिका निरूपित करना	20
20	बी0एम0सी0 की कार्ययोजना	21
21	बी0एम0सी0 के अधिकार	22
	एनेक्सर की सूची	
	एनेक्सर–1	24
	एनेक्सर–2	26
	एनेक्सर–3	28
	एनेक्सर–4	30
	एनेक्सर–5	32
	एनेक्सर–6	34
	एनेक्सर–7	36

पृथ्वी सम्मेलन 1992 : रियो–डि–जनेरियो 1

जनसंख्या विस्फोट, अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप तथा प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित विदोहन से उत्पन्न खतरों के दृष्टिगत वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो–डी–जनेरियो शहर में ***''पृथ्वी सम्मेलन''*** का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 178 विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 108 राष्ट्राध्यक्ष थे। इस वैश्विक सम्मेलन के फलस्वरूप ''संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेशन'' (सी0बी0डी0) अर्थात Convention on Biological Diversity की स्थापना वर्ष 1993 में हुई।

इसका सचिवालय मोन्ट्रियल (कनाडा) में स्थित है।

Convention on
Biological Diversity

जैव विविधता कन्वेंशन का प्रतीक चिन्ह

2 जैव विविधता कन्वेंशन

जैव विविधता कन्वेशन 28 दिसम्बर, 1993 से प्रभावी हुआ तथा फरवरी 1994 में भारत इस कन्वेंशन का औपचारिक रूप से सदस्य बन गया। वर्तमान में विश्व के कुल 194 देश जैव विविधता कन्वेंशन के सदस्य है।

इस कन्वेंशन के निम्नवत् तीन मुख्य उद्देश्य हैः–

1. जैव विविधता का संरक्षण
2. जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग
3. जैव/आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ का उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन

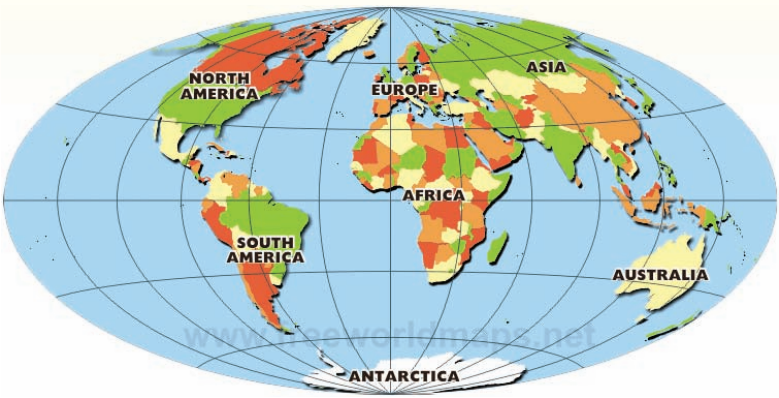

जैव विविधता अधिनियम, 2002 3

जैव विविधता कन्वेंशन (सी0बी0डी0) का सदस्य राष्ट्र होने की प्रतिबद्धता तथा कन्वेंशन के तीन मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत की संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 प्रतिस्थापित किया गया, जो दिनांक 05 फरवरी, 2003 से प्रभावी हुआ।

सी0बी0डी0 के मुख्य तीन उद्देश्य की भाँति जैव विविधता अधिनियम, 2002 के भी निम्नवत तीन मुख्य उद्देश्य है–

1. जैव विविधता का संरक्षण
2. जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग
3. जैव/आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ का उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन

4 जैव विविधता अधिनियम, 2002 का कार्यान्वयन

जैव विविधता अधिनियम का अनुपालन तीन स्तरों पर गठित संस्थाओं द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस व्यवस्था में प्रथम स्तर ***"राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण"*** अथवा National Biodiversity Authority (एन0बी0ए0) है। राष्ट्रीय स्तर पर गठित एन0बी0ए0 का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।

दूसरे स्तर पर भारत के सभी राज्यों द्वारा ***"राज्य जैव विविधता बोर्ड"*** गठित किया गया है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गठित राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय देहरादून है।

इस व्यवस्था में तीसरे स्तर पर ***"जैव विविधता प्रबन्ध समिति"*** (बी0एम0सी0) का स्थान है, जिसका गठन स्थानीय निकाय स्तर पर किया जाता है।

जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु तीन-स्तरीय व्यवस्था

जैव विविधता अधिनियम, 2002 5

जैव विविधता अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ''उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड'' का गठन वर्ष 2006 में किया गया। अधिनियम की धारा–22 में विहित बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैः–

1. जैव विविधता संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ के सहभाजन से सम्बंधित विषय में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अधीन राज्य सरकार को सलाह देना।
2. भारतीय नागरिक/संस्था से जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग अथवा जैव सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध को अनुमोदित अथवा अस्वीकृत कर विनियमित करना।
3. अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन सम्बंधी अन्य आवश्यक कार्य, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जायें।

उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड का प्रतीक चिन्ह

6 "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य

स्थानीय निकाय का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ख)(1) में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था (ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत तथा जिला पंचायत) तथा अनुच्छेद 243 (थ)(1) में शहरी क्षेत्रों हेतु नगर पालिकाओं (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम) से है।

ग्रामीण क्षेत्रों के तीनों पंचायती निकायों में से किसी भी स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया जा सकता है किन्तु जैव विविधता अधिनियम के तीसरे उद्देश्य (उचित एवं साम्यपूर्ण लाभ का सहभाजन) की प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर बी0एम0सी0 गठन हेतु प्राथमिकता दी जा रही है।

शहरी क्षेत्र स्थित नगर निकायों में बी0एम0सी0 गठित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

स्थानीय निकाय (ग्रामीण)	स्थानीय निकाय (शहरी)
• ग्राम पंचायत	• नगर पंचायत
• ब्लॉक पंचायत	• नगर पालिका परिषद
• जिला पंचायत	• नगर निगम

उत्तराखण्ड के स्थानीय निकाय 7

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बंधित ***स्थानीय निकायों*** की संख्या निम्नवत् है:

ग्राम पंचायतों की संख्या	7956
ब्लॉक पंचायतों की संख्या	95
जिला पंचायतों की संख्या	13

उपरोक्त ग्रामीण स्थानीय निकायों में से सर्वप्रथम 7956 ग्राम पंचायतों में जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में स्थापित स्थानीय निकायों का विवरण निम्नवत् है जिसमें जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया जा रहा है:

नगर पंचायत की संख्या	41
नगर पालिका की संख्या	31
नगर निगम की संख्या	06

8 जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी0एम0सी0) क्या है ?

जैव विविधता अधिनियम की धारा–41 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत एक ''जैव विविधता प्रबन्ध समिति'' (Biodiversity Management Committee) अर्थात **बी०एम०सी०** का गठन करेगा। उक्त गठित समिति की वैधानिक स्थिति स्वायतशासी निकाय की होगी। इस समिति में **अध्यक्ष** तथा **सचिव** सहित कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 07 निम्न प्रकार से होगी–

1. अध्यक्ष (किसी भी वर्ग का) – एक
2. महिला सदस्य – दो
3. अनु0 जा0 / अनु0 ज0जा0 वर्ग सदस्य – एक
4. सदस्य (किसी भी वर्ग का) – दो
5. सचिव (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित) – एक

जैव विविधता प्रबन्ध समितियों हेतु नोडल अधिकारी तथा सचिव 9

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वन विभाग के क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारियों को उनके अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबन्ध समितियों हेतु ***नोडल अधिकारी*** नामित किया गया है (देखें शासनादेश : एनेक्सर 1 पर)

उक्त शासनादेश द्वारा वन विभाग के निकटस्थ तैनात डिप्टी रेंजर/फॉरेस्टर अथवा फॉरेस्ट गार्ड को जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सचिव के रूप में नामित करने हेतु सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

इस प्रकार क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा नामित डिप्टी रेंजर अथवा फॉरेस्टर अथवा फॉरेस्ट गार्ड जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सचिव होंगे।

बी0एम0सी0 हेतु नोडल अधिकारी	➤	क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी

बी0एम0सी0 के सचिव	➤	निकटस्थ तैनात डिप्टी रेंजर/ फॉरेस्टर अथवा फॉरेस्ट गार्ड

10 जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी0एम0सी0) का गठन

बी0एम0सी0 गठन की प्रक्रिया में ग्राम सभा के आदिवासी समूहों, उपेक्षित समुदायों सहित सभी हितधारकों का प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाना चाहिये। समिति के गठन तथा संचालन की प्रक्रिया में सभ्य सामाजिक संगठनों तथा तकनीकी सहायता समूहों की मदद ली जा सकती है।

बी0एम0सी0 के गठन हेतु सर्वप्रथम सम्बंधित स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा स्थानीय निकाय की एक आम बैठक बुलायी जानी चाहिये। बैठक में आम सहमति से अधिकतम 06 व्यक्तियों को समिति का सदस्य चयनित करना चाहिये जिसमें दो महिला सदस्य तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग का सदस्य अवश्य हो।

बी0एम0सी0 के अध्यक्ष का चुनाव 11

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के पूर्व चयनित 06 सदस्यों द्वारा बैठक में किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता स्थानीय निकाय के अध्यक्ष करेंगे।

चुनाव के दौरान मत बराबर होने की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सचिव को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

12 बी0एम0सी0 की संरचना

नियमानुसार किसी भी बी0एम0सी0 में सदस्यों की अधिकतम संख्या 07 होगी जिसमें 02 महिला सदस्य तथा 01 अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य अनिवार्य रूप से होगा। इसके अतिरिक्त समिति में एक अध्यक्ष, दो अन्य नामित सदस्य तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित कार्मिक (वन रक्षक अथवा फॉरेस्टर अथवा डिप्टी रेंजर में से) सचिव के रूप में समिति में सम्मिलित होगा।

विभिन्न स्थानीय निकायों में बी0एम0सी0 गठित किये जाने के उपरान्त स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्गत किये जाने वाले पत्र की प्रति एनेक्सर–2 से 7 के रूप में अनुलग्न है।

बी0एम0सी0 द्वारा बैंक में खाता खोला जाना तथा उसका रख–रखाव 13

1. बी0एम0सी0 गठित होने के पश्चात् नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में समिति का एक खाता खोला जायेगा जिसे ''स्थानीय जैव विविधता निधि'' कहा जायेगा।
2. समिति को प्राप्त समस्त आय इस खाते में रखा जायेगा।
3. बी0एम0सी0 द्वारा समस्त भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा जिस पर समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर संयुक्त रूप से होंगे।
4. बी0एम0सी0 के धन की अभिरक्षा की जिम्मेदारी समिति के सचिव की है जो प्राप्ति, जमा धनराशि के हस्तान्तरण तथा लेखा के उचित प्रकार से रख–रखाव हेतु भी उत्तरदायी होगा।
5. खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण इस हेतु नियुक्त लेखा परीक्षकों से कराया जायेगा जिसकी प्रति स्थानीय निकाय तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

14 बी0एम0सी0 गठन सम्बंधी महत्वपूर्ण सुझाव

1. स्थानीय निकाय की आम बैठक में बी0एम0सी0 हेतु सदस्य नामित करते समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास हो कि चयनित सदस्य विश्वासपात्र तथा जैव विविधता संरक्षण की गतिविधियों में रूचिपूर्वक योगदान करने वाला हो।
2. समिति हेतु चयनित सभी सदस्यों के नाम सम्बंधित स्थानीय निकाय की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अवश्य होनी चाहिये।
3. बी0एम0सी0 गठन हेतु आहूत बैठक के दौरान मौजूद लोगों की उपस्थिति अवश्य दर्ज की जानी चाहिये जिसमें उनके हस्ताक्षर भी अवश्य हों।
4. बी0एम0सी0 गठन हेतु आहूत आम सभा बैठक की कम से कम 05 फोटो (High Resolution) अवश्य ली जानी चाहिये।
5. बी0एम0सी0 गठन के उपरान्त स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा बी0एम0सी0 गठन सम्बंधी पत्र निर्धारित प्रारूप में अवश्य निर्गत की जानी चाहिये।

बी0एम0सी0 का कार्यकाल 15

बी0एम0सी गठित होने के पश्चात ही इसके संचालन का कार्य शीध्र प्रारम्भ होना चहिये। स्थानीय निकाय द्वारा कार्यालय उपलब्ध कराये जाने की दशा में बी0एम0सी0 उक्त कार्यालय परिसर से कार्य संचालित कर सकता है।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 05 वर्ष/स्थानीय निकाय के कार्यकाल के समरूप होगा।

नयी समिति के गठन होने तक पूर्व गठित समिति यथावत कार्य करती रहेगी।

16 बी0एम0सी0 को अन्य समितियों के साथ एकीकृत किया जाना

गठित बी0एम0सी0 को सरकार की वैधानिक शक्तियों अथवा प्रशासनिक आदेशों द्वारा गठित अन्य समितियो, जो वन/प्राकृतिक संसाधनों से सम्बंधित हो, आवश्यकतानुसार साथ मिलकर कार्य करना चाहिये। उत्तराखण्ड राज्य में वन पंचायत एक उदाहरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त बागवानी, वनस्पति विज्ञानी, वैद्य तथा आदिवासी समूहों को भी बी0एम0सी0 के साथ जैव विविधता संरक्षण कार्यो में सहयोग हेतु एकीकृत किया जा सकता है।

बी0एम0सी0 की भूमिका एवं उत्तरदायित्व 17

बी0एम0सी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नवत हैः

- जैव विविधता पंजिका का निरूपण।
- जैविक संसाधनों का संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
- जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से उत्पन्न लाभ का प्रभाजन।
- लोक जैव विविधता पंजिका में अभिलिखित पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण।
- स्थानीय जैव विविधता की पूर्व अवस्था बहाली।

- बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पारम्परिक ज्ञान तथा जैव विविधता से सम्बन्धित स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया अथवा सूचना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/राज्य जैव विविधता बोर्ड को उपलब्ध कराना।
- आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पतियों/जीव–जन्तुओं के पारम्परिक किस्मों/नस्लों का संरक्षण।
- वाणिज्यिक एवं अनुसंधान प्रयोजनों के लिए जैविक संसाधनों तथा/अथवा सम्बद्ध पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच का विनियमन।
- विरासत स्थलों सहित विरासतीय वृक्षों, पशुओं, पवित्र वनों एवं पवित्र जल निकायों का प्रबन्धन।
- जैव विविधता शिक्षा एवं जागरूकता को बढावा देना।
- प्रलेखन तथा जैव सांस्कृतिक प्रोटोकॉल विकसित करने की प्रक्रिया को सामर्थ्यवान बनाना।

बी0एम0सी0 की बैठकें एवं क्रियाकलाप 18

बी0एम0सी0 वर्ष में कम से कम 04 बार तथा तीन माह में एक बार बैठकों का आयोजन करेगी।

बैठकों की अध्यक्षता बी0एम0सी0 के अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से चुना सदस्य करेगा।

प्रत्येक बैठक हेतु अध्यक्ष सहित तथा सचिव को छोड़कर गणपूर्ति की संख्या 03 होगी।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार कर नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा बी0एम0सी0 को बैठकों के कार्यवृत्त सहित समस्त रजिस्टरों के रखरखाव हेतु निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा।

19 लोक जैव विविधता पंजिका निरूपित करना

अधिनियम के अनुसार लोक ''जैव विविधता पंजिका'' या पी0बी0आर0 निरूपित किये जाने का उत्तरदायित्व जैव विविधता प्रबन्ध समिति पर है। इस पंजिका में बी0एम0सी0 के क्षेत्राधिकार में उपलब्ध सभी जैव विविधताओं का अभिलेखीकरण निर्धारित प्रारूप में किया जाता है। तकनीकी कार्य होने के कारण इस कार्य में "तकनीकी सहायता समूह" का सहयोग बी0एम0सी0 द्वारा लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त बी0एम0सी0 द्वारा ''जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख'' भी निरूपित किया जाना अपेक्षित है जिसमें क्षेत्र की पारिस्थितिकी, संस्कृति, अध्यात्म, पारम्परिक ज्ञान तथा जैव संसाधनों से सम्बंधित प्रचलित स्थानीय प्रथा को अभिलिखित किया जाता है।

बी0एम0सी0 की कार्ययोजना 20

प्रत्येक जैव विविधता प्रबन्ध समिति अनुमन्य किये गये लोक जैव विविधता पंजिका से प्राप्त सूचना के आधार पर एक कार्य योजना तैयार करेगी जो निम्नलिखित पर केन्द्रित होगाः

- जैव संसाधनों के संरक्षण हेतु उपाय करना।
- जैव विविधता प्रबन्ध समिति कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान।
- सम्भावित वस्तुओं की सूची को "भौगोलिक उपदर्शन" (Geographical Indication) के रूप में पंजीकरण।
- स्थानीय जैव विविधता के पोषणीय उपयोग सहित औषधीय पौधों तथा सम्बद्ध पांरपरिक ज्ञान के प्रबन्धन हेतु सूक्ष्म योजना विकसित करना।

21 बी0एम0सी0 के अधिकार

1. जैव विविधता अधिनियम की धारा 41(3) के अनुसार बी0एम0सी0 अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन एकत्रित करने वाले व्यक्ति/संस्था पर संग्रहण शुल्क अधिरोपित कर सकती है।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय अधिकारिता में उपलब्ध जैव संसाधनों तक पहुँच एवं उसके सहबद्ध ज्ञान के उपयोग के सम्बंध में निर्णय लेने से पूर्व बी0एम0सी0 से परामर्श करेंगे।
3. बी0एम0सी0 तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग दण्डनीय अपराध है। कोई भी प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बंधित बी0एम0सी0 द्वारा हस्तक्षेप कर उसकी सूचना तत्काल उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को देनी चाहिये।

   ''जैव संसाधन'' का तात्पर्य पौधों, जीव जन्तुओं, सूक्ष्म जीवों या उनके भाग सहित आनुवांशिक पदार्थ (मूल्यवर्धित उत्पाद तथा मानवीय आनुवांशिक पदार्थों को छोड़कर) से है।

एनेक्सर

1 से 7 तक

एनेक्सर 1

प्रेषक, संख्या– 141/X-3-13-08(18)/2010

मनोज चन्द्रन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 19 नवम्बर, 2013

विषयः राज्य के स्थानीय निकायों में गठित जैव विविधता प्रबन्ध समितियों हेतु नोडल अधिकारी एवं सचिवों के नामांकन के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–349/जै0वि0बो0–16–3, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के पत्रांक एफ0न0 2/84/13/12–13/4638, दिनांक 08 मार्च, 2013 द्वारा जैव विविधता निधि के संचालन हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में कार्यवाही हेतु आपके संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त जैव विविधता प्रबन्ध समिति हेतु नोडल अधिकारी एवं सचिव का नामांकन निम्नवत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(i) उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग के क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारियों को, उनके अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली स्थानीय निकायों में गठित जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (BMC) हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

(ii) स्थानीय निकाय के निकटस्थ तैनात वन विभाग के वन दरोगा (Forester) अथवा डिप्टी रेंजर को, जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सचिव

के रूप में नामांकन सम्बंधित क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि निकटस्थ स्थान पर वन दरोगा अथवा डिप्टी रेंजर तैनात ना हो, तो निकटस्थ तैनात वन बीट अधिकारी (वन रक्षक) को समिति का सचिव नामित किया जा सकेगा।

2. कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. प्रशासन, समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय को इण्टरनेट के प्रसारण हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
अनु सचिव

एनेक्सर 2

ग्राम पंचायत स्तर के प्रस्ताव का नमूना
ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या : ..... दिनांक :.....
ग्राम पंचायत का नाम : ..... विकासखण्ड :.....
जिला :.....

दिनांक..... को .....बजे ..... स्थान पर ..... ग्राम पंचायत के प्रधान श्री/श्रीमती..... की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम–2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम–2004 के नियम 22 एवं उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता नियमावली ..... के आधीन तीन/पॉच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे :

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों का संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुॅच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अभिमत, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना।
4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुॅच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुॅच हेतु अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में अभिलेखित करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैव संसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी अभिलेखित करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
अध्यक्ष/ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत.....

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
सचिव (स्थायी अधिष्ठान से)
जैव विविधता प्रबन्ध समिति
ग्राम पंचायत.....

एनेक्सर 3

विकासखण्ड स्तर के प्रस्ताव का नमूना विकासखण्ड पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या : ..... दिनांक :.....
विकासखण्ड पंचायत का नाम : .....
जिला :.....

दिनांक..... को .....बजे ..... स्थान पर .....विकासखण्ड / तहसील के प्रमुख श्री / श्रीमती.....की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम–2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम–2004 के नियम 22 एवं उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता नियमावली ..... के आधीन तीन / पॉच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे :

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुॅच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अभिमत, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना।
4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुॅच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुॅच हेतु अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में अभिलेखित करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैव संसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी अभिलेखित करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
अध्यक्ष
विकासखण्ड पंचायत

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
कार्यकारी अधिकारी
विकासखण्ड पंचायत

एनेक्सर 4

जिला पंचायत के प्रस्ताव का नमूना
जिला पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या : ..... दिनांक :.....
जिला पंचायत का नाम : .....
जिला :.....

दिनांक..... को .....बजे ..... स्थान पर ..... जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री/श्रीमती ..... की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम – 2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम–2004 के नियम 22 एवं उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता नियमावली ..... के आधीन तीन/पॉच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे :

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुॅच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अभिमत, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध करना।
4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुॅच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुॅच हेतु अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में अभिलेखित करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैव संसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी अभिलेखित करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
अध्यक्ष
जिला पंचायत.....

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला पंचायत.....

एनेक्सर 5

नगर पंचायत के प्रस्ताव का नमूना
नगर पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या : ..... दिनांक :.....
नगर पंचायत का नाम : .....

दिनांक ..... को ..... बजे ..... स्थान पर ..... नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री/श्रीमती..... की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम–2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम–2004 के नियम 22 एवं उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता नियमावली ..... के आधीन तीन/पॉच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे :

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों का संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुॅच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अभिमत, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना।
4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुॅच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुॅच हेतु अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में अभिलेखित करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैव संसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी अभिलेखित करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
अध्यक्ष
नगर पंचायत .....

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर पंचायत .....

एनेक्सर 6

नगरपालिका परिषद के प्रस्ताव का नमूना
नगरपालिका परिषद स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या : ..... दिनांक :.....

नगरपालिका परिषद का नाम : .....

दिनांक ..... को ..... बजे ..... स्थान पर ..... नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष श्री/श्रीमती.....की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम–2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम–2004 के नियम 22 एवं उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता नियमावली ..... के आधीन तीन/पॉच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जेव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे :

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुॅच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अभिमत, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध करना।
4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुॅच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुॅच हेतु अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में अभिलेखित करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैव संसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी अभिलेखित करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद.....

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगरपालिका परिषद.....

एनेक्सर 7

नगर निगम स्तर के प्रस्ताव का नमूना
नगर निगम स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या : ..... दिनांक :.....

नगर निगम का नाम : .....

दिनांक ..... को ..... बजे ..... स्थान पर ..... नगर निगम के अध्यक्ष (मेयर) श्री/श्रीमती ..... की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम–2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम–2004 के नियम 22 एवं उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता नियमावली ..... के आधीन तीन/पॉच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जेव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे :

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों का संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुॅच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अभिमत, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना।
4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुॅच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुॅच हेतु अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में अभिलेखित करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैव संसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी अभिलेखित करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
अध्यक्ष
नगर निगम.....

(हस्ताक्षर एवं मोहर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम.....

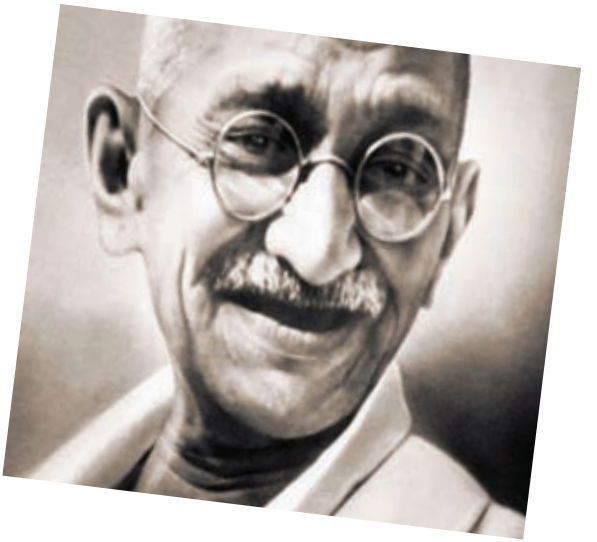

मेरा यह मानना है कि ईश्वर द्वारा रचित सभी जीवों को जीने का उतना ही अधिकार है, जितना हमें।

महात्मा गाँधी

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
फेज–2, वसन्त विहार, देहरादून–248006
फोन नः 0135–2769886